

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रार./शिप्र/प्रवेश/4489/08-09

दिनांक:-

समन्वयक,
बीएसटीसी/एनटीटी/एसटीसी संस्कृत
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर ।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय में दो वर्षीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने बाबत ।

संदर्भ:- उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प-15(7) शिक्षा-1/प्राशि/2008 दिनांक 26-9-08 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 26-9-08 के द्वारा निर्देशानुसार पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई नवीन निजी संस्था प्रशास्त्रि कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फॉर वुमेन्स महावीर नगर कोटा को एसटीसी/एनटीटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2008-09 में 50 सीटों के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति एवं सम्बद्धता प्रदान की जाती है । संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्णतया पालना प्रवेश प्रक्रिया में भी की जावे ।

A. H. H. H.

2008

प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय

बोरोना कर्ना (सांगोद)

जिला - कोटा (राज.)

पुष्पा एम. ए.

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक: प.15(7)शिक्षा / प्रा.शि. / 2008

जयपुर, दिनांक: 26/9/08

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 17 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2008-09 हेतु निशानानुसार काउन्सिलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर में एक मुश्त 1,00,000/- रुपये विलम्ब शुल्क/शरित (Non-refundable) के रूप में बैंक ड्रॉपट के माध्यम से जमा करवाये जाने की शर्त पर प्रदान की जाती है :-


क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
(1)	जे.एल. गेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शास्त्री नगर जोधपुर	STC	50
(2)	इल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, कोटपूतली जयपुर	STC	50
(3)	मरुधरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गौ.पा. बासनी लक्ष्मणगढ़, सीकर	STC	50
(4)	माता श्री नारायण दास शिक्षक प्रशिक्षण महिला विद्यालय, बहरोड, अलवर	STC	50
(5)	बी.के. त्यागी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, धौलपुर	STC	50
(6)	भारतीय विद्या मन्दिर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, चमनपुरा पाली	STC	50
(7)	एस.एन. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, एन.एच.-3, धौलपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(8)	बालाजी इन्स्टीट्यूट महावीर नगर-11, कोटा	STC	50
(9)	राज शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विराट नगर, जयपुर	STC	50
(10)	केम्ब्रिज कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सीतापुरा, जयपुर	STC	50
(11)	यदुवंशी इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, गौ.प.पोस्ट सोहली, बुझना, झुझुनू	STC	50 (सीट वृद्धि)
(12)	ओम कोहारी इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, झालावाड़ रोड, कोटा	STC	50
(13)	भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगानगर सिटी, सवाईमाधोपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(14)	प्रशान्ति कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फॉर वीमेन, महावीर नगर-11, कोटा	STC	50
(15)	श्री गणेश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, गौ.प.पोस्ट कुडिना, बुझना, झुझुनू	STC	50 (सीट वृद्धि)
(16)	एस.एस. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, हिरण नगरी सेक्टर-5, उदयपुर	DEd (STC)	50
(17)	भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, सी.एस. श्रीमन्थोपुर, सीकर	STC	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समतुल्य परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिये। समकक्ष परीक्षा के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा। इसी के अतिरिक्त अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी अथवा उचित विषयों में होना चाहिये।
2. शैक्षिक सत्र 2008-09 में बीएचटीसी/एनटीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्री-प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।


3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में नवीनतम प्रभावी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।
5. एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पश्चात् संस्था को छात्र आवंटित किये जावें:-
 - (iv) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.
 - (v) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
 - (vi) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के विनियम 7(11) के तहत इन संस्थाओं को उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये हैं, जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(12) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किये जाने का प्रावधान है, इसलिए इन संस्थाओं को क्रम संख्या 5 (i) पर अंकित शर्त की पालना एवं सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर में ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाई गई राशि की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जावे।


 शासन उप सचिव
 प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षार्थ, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, बीएसटीसी/एनटीटी 2008 व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया काउंसिलिंग में सम्मिलित करने से पूर्व निर्धारित फीस, राशियाँ एवं शास्त्र जमा करवाना सुनिश्चित करें।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
8. संबंधित संस्था
9. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव



गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

उत्तर क्षेत्रीय समिति

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION 4

F.NRC/NCTE/RJ-1739/2008

62984
Order

Date: 19 SEP 2008

WHEREAS in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993 **Prashanti College of Education for Women, Plot No. - 1, Mahvir Nagar - II, Kota - 324009, Rajasthan** has submitted an application (code No. 05947) to the **Northern Regional Committee** of NCTE for grant of recognition/permission for starting **STC Course** of two year duration with an annual intake of **50 (Fifty)** students on **31.12.2007**.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the **Elementary** teacher education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15 (3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to **Prashanti College of Education for Women, Plot No. - 1, Mahvir Nagar - II, Kota - 324009, Rajasthan** for conducting **STC Course of Elementary** (level) of two year duration an annual intake of **50 (Fifty Only)** students from the academic session 2008-09 under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007 subject to fulfillment of the following:

- i) The admissions in the institution so recognized for the academic session 2008-2009 shall be made only after affiliation by the examining body, before the commencement of the academic year and the admission of the students shall be completed well before the cut of date prescribed by the examining body for the academic year 2008-2009, failing which the recognition will be deemed to be for the next year academic year that is 2009-2010.
- ii) Formal orders for recognition / permission will operate for 2008-2009 only if requirement of 180 teaching days in the session would be fulfilled as per calendar of the University / Affiliating body. The decision of the University in this regard shall be final.
- iii) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the **Northern Regional Committee**.
- iv) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- v) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.

Conti...



Signature
प्रधानाचार्य
मा. वि. सोनिया
कोटा

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be by other regulatory bodies like UGC, affiliating University Body, the State Government etc, applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

7. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition letter
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

Regional Director
Tel. No.-0141-2623501

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

C.C. :-

1. The Principal, **Prashanti College of Education for Women, Plot No. - 1, Mahvir Nagar - II, Kota - 324009, Rajasthan.**
2. The Secretary, **Education, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.**
3. The Director, **SCERT, Sahelion ki Badi, Udaipur, Rajasthan.**
4. Directorate of Higher Education, I/c Teacher Education, Govt. of Rajasthan, Directorate, Bikaner, Rajasthan.
5. The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110 001.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
7. Office Order file/ Institution file

P. est

Prashanti

प्रधानाचार्य

कोटा

[Signature]

Regional Director

NCTE • NRC • JAIPUR